

समाहरणालय, हजारीबाग
(उत्पाद शाखा)

बन्दोबस्ती विज्ञप्ति

झारखण्ड सरकार के उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के संकल्प संख्या- 1/ नीति- 40-4/2009-367 दिनांक- 20.02.2009, जो झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या- 69 दिनांक- 20.02.2009 द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें वर्णित उत्पाद नीति के आलोक में एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हजारीबाग जिला में स्वीकृत 18 (अठारह) देशी शराब (म0 दे0 शराब सहित) एवं 22 (बाईस) विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) की खुदरा अनुज्ञप्तियों को तथा एक ही परिसर में देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) की खुदरा बिक्री की 29 (उनतीस) कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञप्तियों को कुल 23 (तेईस) समूहों में आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 अर्थात् 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए दिनांक- 25.02.2012 को समाहरणालय सभा कक्ष, हजारीबाग में निर्धारित समय-...11:00 बजे पूर्वाह्न में तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन निर्धारित फीस पर आवेदन प्रणाली द्वारा लॉटरी के माध्यम से योग्य आवेदकों की उपस्थिति में बन्दोबस्त किया जायेगा।

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र- 127 'क') में निहित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत वांछित कागजात एवं आवेदन शुल्क के साथ दिनांक- 21.02.2012 के अपराहन 5:30 बजे तक सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा के हजारीबाग स्थित कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

बन्दोबस्ती संबंधी बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र-127 'क') समाहरणालय, हजारीबाग एवं सदर उत्पाद कार्यालय, हजारीबाग के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा के हजारीबाग स्थित कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

M. S. S.
उपायुक्त, हजारीबाग।